समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)

दिनांक 23-01-2015 को श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा, 2015 की केन्द्र चयन समिति की हुई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति

1. जिलाधिकारी, मधेपुरा
2. पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा
3. अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा-सह- वरीय प्रभारी शिक्षा
4. अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा
5. अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज
6. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा
7. अध्यक्ष, जिला मा0 शिक्षक संघ, मधेपुरा

कार्यवाही

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि गत वर्ष, 2014 में इस जिले में 36,148 परीक्षार्थी इंटर की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 2577 रीक्षार्थी का परीक्षा केन्द्र पूर्णियां जिला किया गया था एवं शेष 33571 परीक्षार्थियों का मधेपुरा जिला में 33 केन्द्रों (मधेपुरा अनुमंडल में 27 एवं उदाकिशुनगंज में 06 पर परीक्षा ली गई थी। परीक्षा स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संचालन हुआ, जिसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013-15 सत्र में इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या 32,868 तथा गत वर्ष के असफल परीक्षार्थियों की संख्या 17,388 अर्थात् कुल 50,256 परीक्षार्थियों के फॉर्म भरने की सूचना आज तक प्राप्त हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की विज्ञप्ति संख्या-03/15 द्वारा दिनांक 23-01-2015 तक फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है। इस प्रकार इस जिले में लगभग 51,000 परीक्षार्थियों के भाग लेने की संभावना है।

(1) परीक्षा केन्द्र

इस जिले में गत वर्ष 33 परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे, जिसमें मोहन शकुन्तला उच्च विद्यालय, मधेपुरा को भी परीक्षा केन्द्र बनाया गया था। उक्त परीक्षा केन्द्र की

व्यवस्था काफी खराब थी एवं उस केन्द्र पर जाने का भी रास्ता सकरा है। अतः उक्त विद्यालय को इस वर्ष परीक्षा केन्द्र नहीं बनाने का निर्णय लिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार पटना के द्वारा सुपौल, सहरसा एवं पूर्णियां जिला को मधेपुरा के परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मलित होने हेतु परीक्षा केन्द्र बनाने की सहमति संसूचित की गई है। इस प्रकार इस जिले में लगभग 51 हजार परीक्षार्थियों को देखते हुए 17 हजार परीक्षार्थियों को यथा पूर्णियां 10 हजार, सुपौल 10 हजार एवं सहरसा 7 हजार परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र निर्धारण करने का अनुरोध संबंधित जिलाधिकारी को किया गया है। शेष परीक्षार्थियों (33,484) के लिए मधेपुरा जिला में 31 केन्द्रों (मधेपुरा अनुमंडल में 24 एवं उदाकिशुनगंज में 07) का चयन किया गया है।

निर्णय लिया गया कि जिन गैर सरकारी महाविद्यालयों एवं स्कूलों के परीक्षार्थी हैं और जिनका गत वर्ष भी परीक्षा में अनुशासनहीनता परिलक्षित हुआ है, उस महाविद्यालय /विद्यालय का परीक्षा केन्द्र पूर्णियां, सुपौल एवं सहरसा में किया जाएगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि जिन विद्यालयों के छात्रों का केन्द्र गत वर्ष निर्धारित था, इस वर्ष उससे भिन्न परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।

इसी प्रकार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2015 के लिए कुल–30,113 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, जिनके लिए मधेपुरा जिला में 30 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, जिसमें 24 केन्द्र मधेपुरा मुख्यालय में एवं 06 केन्द्र उदाकिशुनगंज मुख्यालय में बनाये गये हैं।

(2) वीक्षक

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि गैर सरकारी महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं उनके शिक्षकों के अतिरिक्त उच्च विद्यालयों के सरकारी शिक्षकों को वीक्षण कार्य में लगाया जाय, ताकि परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार रहित सम्पन्न हो सके। इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उच्च विद्यालयों के शिक्षकों का विषयवार डाटाबेस तैयार कर एक सप्ताह के अंदर जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराया जाय ताकि आवश्यकतानुसार रैण्डमाईज कर शिक्षकों को वीक्षण कार्य में लगाया जा सके।

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक दिन वीक्षकों को एक कमरे से दूसरे कमरे में कार्य आवंटित किया जाय ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

यह भी निर्णय लिया गया कि छात्राओं के केन्द्र पर अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से महिला पर्यवेक्षिका की प्रतिनियुक्ति ससमय करना सुनिश्चित करेंगे तथा महिला पुलिस हेतु पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा प्रतिनियुक्ति करेंगे। पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय ने बताया कि महिला पुलिस की बहुत कमी है। निदेश दिया गया कि महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य मुख्यालय / प्रक्षेत्र कार्यालय दरभंगा से अनुरोध किया जाय।

(3) बेंच/ डेस्क की व्यवस्था

कुछ केन्द्राधीक्षकों द्वारा बताया गया कि परीक्षार्थियों के अनुरूप उनके केन्द्रों पर बेंच/ डेस्क की आवश्यकता होगी। जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि सभी केन्द्राधीक्षकों की बैठक आयोजित कर उनसे बेंच /डेस्क की आवश्यकता आदि के संबंध में आंकलन कर प्रतिवेदन ले लें एवं परीक्षा से दो दिन पूर्व सारे केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार बेंच /डेस्क भेजवाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति बेंच /डेस्कों की कमी नहीं रहनी चाहिए।

(4) वाद का निष्पादन

जिलाधिकारी द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय को निदेश दिया गया कि गत वर्ष जिन वीक्षकों /छात्रों के विरूद्ध वाद दायर किया गया था, उनका चार्ज शीट यदि कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ तो एक सप्ताह के अंदर चार्जशीट दाखिल करवाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) नियंत्रण कक्ष

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विधि-व्यवस्था पर नियंत्रण रखने हेतु एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना आवश्यक है। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज तथा प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त अवधि में जिला स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाय एवं पालीवार पदाधिकारी /कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित किया जाय।

(6) फोटोग्राफी

यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा अवधि में सभी फोटोस्टेट की दूकानों को अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से बंद करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा निर्देश देंगे कि यदि कोई गलत कार्य करते पकड़े जायेंगे तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

(7) होटल /लॉज की जाँच

यह भी निर्णय लिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज होटल एवं लॉज के मालिकों की एक बैठक आयोजित कर यह निर्देश देंगे कि जो भी परीक्षार्थी /सहयोगी उनके यहाँ रहते हैं तो एक पंजी खोलकर रहनवालों का पूर्ण विवरण पहचान पत्र /एडमिट कार्ड का फोटो सहित रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे मांग किया जा सके और उनके विरूद्ध कार्रवाई किया जा सके।

(8) यातायात व्यवस्था

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि परीक्षा के दौरान कई चौक चौराहों पर भीड़ के अनियंत्रित रहने से यातायात बाधित हो जाती है एवं जाम लग जाता है। इसके निदान हेतु कॉलेज चौक, बी0पी0मंडल चौक (बस स्टैंड), कर्पूरी चौक, सुभाष चौक पर यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि वर्णित चौक पर यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति उक्त अवधि में

सुनिश्चित कराई जाय ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके तथा यातायात सुगमता से हो सके।

(9) समय पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि गत वर्ष परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस बल ससमय पहुँचने के कारण परीक्षा शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ। निर्णय लिया गया कि परीक्षा अवधि में एक बस अधियाचित कर सार्जेंट मेजर को उपलब्ध कराया जाय ताकि परीक्षा के पूर्व पुलिस परीक्षा केन्द्रों पर पहुँच सके।

(10) पुलिस बल की अतिरिक्त आवश्यकता

पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उसी दौरान सिंहेश्वर मेला के अवसर पर विधि-व्यवस्था हेतु पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जानी है। उन्होंने अनुरोध किया कि अतिरिक्त गृह रक्षकों के कॉल-अप हेतु गृह विभाग से एवं सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से राशि से मांग की जाए। जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा एवं प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा को निदेश दिया गया कि गृह रक्षकों के अतिरिक्त कॉल-अप के लिए प्रधान सचिव, गृह विभाग से अनुरोध किया जाए। साथ ही अतिरिक्त राशि की मांग हेतु सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र भेजा जाए।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक- 197......./गो0, मधेपुरा, दिनांक 23-01-2015

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा / अध्यक्ष, जिला मा0 शिक्षक संघ, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

23/01/15

जिलाधिकारी
मधेपुरा।